

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

GCMS संख्या 2022/117

प्रकरण संख्या 63/22

श्रीमति मंजू बनाम श्री चुन्नीलाल

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/117

प्रकरण संख्या 63/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्रीमती मंजू पुत्री जय शंकर पत्नि प्रकाश चन्द्र शर्मा निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर।
2. श्री ललित पुत्र जयशंकर जाति ब्राह्मण निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्री श्यामलाल पुत्र जयशंकर ब्राह्मण निवासी केदारिया तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. श्री हीरालाल पुत्र जयशंकर ब्राह्मण निवासी केदारिया तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
5. श्री जयशंकर उर्फ जैशंकर पुत्र हुडी लाल जाति ब्राह्मण निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चुन्नीलाल पुत्र मेघा गाडरी निवासी मोगजी का खेड़ा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
2. श्री रामचन्द्र पुत्र उदयलाल मेघवाल निवासी केदारिया तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्री हिरालाल पुत्र डालचन्द ब्राह्मण निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. नारायण पुत्र रूपा मेघवाल निवासी केदारिया तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
5. मिठूलाल पुत्र बालूलाल कंठालिया जाति जैन निवासी साठड़िया बाजार भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर।

.....अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री सुरेन्द्र कुमार चौबिसा।

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022


1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हिंता पटवार हल्का हिंता भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त हिंता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 498 की आराजी संख्या 252 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है एवं खाता संख्या 259 की आराजी संख्या 246, रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 247 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 248 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें प्रार्थीगण के

अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आए दिन पाली डोली रूख वृक्ष को लेकर विपक्षीगण से विवाद होता रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढंग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारों तरफ पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 15.03.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।
3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा हिंता पटवार हल्का हिंता भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त हिंता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 498 की आराजी संख्या 252 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है एवं खाता संख्या 259 की आराजी संख्या 246, रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 247 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 248 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।
4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा हिंता पटवार हल्का हिंता भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त हिंता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 498 की आराजी संख्या 252 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है एवं खाता संख्या 259 की आराजी संख्या 246, रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 247 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 248 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा हिंता पटवार हल्का हिंता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त हिंता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 498 की आराजी संख्या 252 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकर्ड है एवं खाता संख्या 259 की आराजी संख्या 246, रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 247 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 248 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)